सप्तदश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-**26.11.2024** के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री हरिभूषण ठाकुर ''बचौल'' स०वि०स० श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स० श्री लखेन्द्र कुमार रौशन, स०वि०स०	''राज्य में 14 मार्च 2024 को 2901 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी। जिसमें लगभग 50 फीसदी आयुर्वेद, 30 फीसदी होमियोपैथ तथा 20 फीसदी यूनानी चिकित्सक हैं। नव नियुक्त आयुष चिकित्सकों को 2 जुलाई 2024 में जिला आंवटन के साथ ही अस्पताल भी आवंटित कर दिया गया था। लेकिन सात माह बीतने के बाद भी इन चिकित्सकों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। जबकि आयुष चिकित्सकों ने लगातार स्वास्थ्य विभाग से वेतन भुगतान करने का आग्रह कर चूके हैं। इसके बाद भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है। इस परिस्थिति में इन चिकित्सकों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। अत: उक्त आयुष चिकित्सकों को शीघ्र वेतन भुगतान हेतु हम सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।''	स्वास्थ्य विभाग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अजीत शर्मा, स०वि०स० श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स० श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्रीमती भागरथी देवी, स०वि०स० श्री दामोदर रावत, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री प्रमोद कुमार, स०वि०स० श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स० श्री शकील अहमद खाँ, स०वि०स० श्री संतोष कुमार मिश्र, स०वि०स०	''बिहार के राज्यकर्मियों के लिए दिनांक 01.01.1996 से केन्द्र सरकार के समरूप वेतनमान लागू है। 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता हो जाने के उपरांत भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय के पत्रांक 28/03/2024 P&PW(B)/Gratuity/9559 दिनांक 30.05.2024 के द्वारा दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से केन्द्रीय कर्मियों के लिए उपादान की राशि 20,00,000 (बीस लाख) रूपये से बढ़ा कर 25,00,000 (पच्चीस लाख) रूपये कर दी गयी है। इसकी सूचना भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एंव पेंशन मंत्रालय द्वारा पत्रांक 25014/01/2024-AIS-II (Pension) दिनांक 28.06.2024 द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को भी दी गयी है। अत: केन्द्रीय कर्मियों के समरूप बिहार के राज्यकर्मियों के लिए भी दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से उपादान की राशि 25,00,000 (पच्चीस लाख) रूपये किये जाने हेतु हम सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं । ''	वित्त विभाग

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2024- 594 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2024- 594 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2024- 594 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / स्वास्थ्य विभाग/ वित्त विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

25.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/2024- 594 / वि०स०, पटना, दिनांक- 25 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

25.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

25.11.2024